

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक

21 JUL 2016

क्रमांक एफ-1-63/2016/सात-4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित मानचित्रकार/अनुरेखक को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित कालम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पर पदस्थ करता है:-

स.क्र.	नाम एवं पद नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान	प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सुरेश कुमार वर्मा, मानचित्रकार	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा कोरबा	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री कोमल राम डहरिया, अनुरेखक	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा महासमुंद	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, रायपुर	स्वयं के व्यय पर

2/ उपरोक्त मानचित्रकार/अनुरेखक को निर्देशित किया जाता है कि पदस्थापना जिला पर आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें । निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

3/- उपरोक्त स्थानांतरित मानचित्रकार/अनुरेखक में से यदि कोई वर्तमान पदस्थानास्थल/जिला में पदस्थ हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों तो संबंधित मानचित्रकार/अनुरेखक का स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावे ।

4/- संबंधित कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि स्थानांतरित मानचित्रकार/अनुरेखक को



स्थानान्तरित जिले के लिए तत्काल कार्यभार से मुक्त करें तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति इस विभाग को फैक्स क्रमांक 0771-2510122 या 0771-2510326 अथवा 0771-2221972 एवं ईमेल आई.डी. revenue.cg@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रमेश शर्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ-1-63/2016/सात-4,
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 21 JUL 2016

1. माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सहायक
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ,मंत्रालय, नया रायपुर
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
4. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर छत्तीसगढ़
5. कलेक्टर, कोरबा/बिलासपुर/महासमुंद/रायपुर, छत्तीसगढ़
6. जिला कोषालय अधिकांरी कोरबा/बिलासपुर/महासमुंद/रायपुर, छत्तीसगढ़
7. संबंधित श्री.....

8. राजस्व विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित---
9. आदेश फोल्डर

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग